1.2.24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०।
बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने
बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपील
कि मद सं। में वर्णित भूमि अपीलान्ट सं
1 ता 4 एवं अपीलान्ट सं 5 ता 10 के पिता
रामेश्वर पुत्र माधाराम के द्वारा पटवारी हल्का
मानोता कंला को आपसी सहमति से मौके
पर काबिज काश्त के अनुसार उक्त भूमि
का विभाजन करने हेतु निवेदन करने पर
पटवारी हल्का मांनोता कंला द्वारा सहमति से
खाता विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र अपीलान्ट सं
1 ता 4 एवं अपीलान्ट सं 5 ता 10 के पिता
द्वारा हस्ताक्षर कर मौके के मनुसार पटवारी
हल्का को आपसी सहमति से खाता विभाजन
हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु पटवारी
हल्का प्रस्तुत आपसी सहमति विभाजन मौके
के मनुसार ना कर राजस्व रिकार्ड के अनुसार
प्रस्ताव बनाकर रेस्पो० के समक्ष पेश किया।
रेस्पो० द्वारा दिनांक 9.12.21 को बिना जांच
किए स्वीकृत कर दिया जिसका नामा० सं 577
दिनांक 13.1.22 को स्वीकृत कर बिना मौके
पर काबिज [illegible] स्वीकार कर अमल
कर दिया [illegible] उनका खातेदारी

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

रस्म मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज कर दी गई जबकि अपीलान्ट पूर्व से ही मौके पर मलगा मलगा काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। पारित आदेश विधि विरुद्ध किया गया है। जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपील में हुई देरी माफ करने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील स्वीकार कि जावे एवं नामा. सं 577 दि. 13-11-23 एवं सहमति से खाता विभाजन दिनांक 9.12.21 को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अतः अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 का प्रार्थना पत्र बाबत मियाद अधि का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। मूल अपील व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपील में अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि का आपसी सहमति से भूमि का विभाजन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं बताया कि हमारा मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कर दिया जावे। परन्तु मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा ना कर अपने हिसाब से कर दिया। अपीलार्थीगण ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ना ही राजस्व के कानूनों की जानकारी है।	

अनिल कुमार
अति. जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested

(अ.नि. शरवत) (... मगला) (अ ...) (अति ...)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हु... तामील में
	यह गलती राजस्व विभाग के कार्मिकों के द्वारा कर दी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा मौके पर काबिज अनुसार होने का नजरी नक्शा व एक प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा किया गया विभाजन प्रस्ताव दोनो का मिलान करने पर दोनो में भिन्नता है। इससे वकील अपीलान्ट द्वारा अंकित तथ्यों कि पुष्टि होती है। वकील अपीलान्ट द्वारा अब जो नजरी नक्शा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर सभी के हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी सहमति प्रदान करके आवेदन पेश किया गया था जिसमें कोई सन्देह कि स्थिति प्रतीत नही होती है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है। तथा आपसी सहमति से दिनांक 9-12-21 को हुए बटवारे को निरस्त किया जाता है तथा नामा० सं 577 ग्राम मानोता कंला दिनांक 13-1-23 आदेश तहसीलदार खेतडी को अपास्त किया जाता है एवं उक्त भूमि विभाजन पूर्व के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली में निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी कि जावे। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:16 IST
Reason: SelfAttested